कार्यालय पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर

दूरभाष नं. 2511920, फैक्स : 2511918 ईमेल— rcs.coop@nic.in

क्रमांक / पंजीयन / 04.15.16 / 2016 / 2435 नया रायपुर, दिनांक 19 / 09 / 2016

प्रति,

संयुक्त / उप / सहायक पंजीयक

सहकारी संस्थाएं,

.... (छ.ग.)

विषय :— अवासीय (रेसीडेंसीयल) सोसायटी के गठन बाबत्।

संदर्भ :— उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायपुर का पत्र क्रमांक / उपरां / पंजीयन / 2016 / 253 दिनांक 17.05.2016

—00—

विषयांतर्गत लेख है कि अनेक गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं द्वारा कालोनी स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है किन्तु नगर निगम को हस्तांतरण नही हुआ है जिसके कारण कालोनी के रख—रखाव, सुरक्षा आदि में दिक्कते आ रही है। इसी तरह प्राइवेट बिल्डर्स द्वारा बनायी गयी कालोनी / अपार्टमेंट आदि के रहवासियों को कालोनी / अपार्टमेंट के रख—रखाव सुरक्षा, पानी, बिजली, आदि की दिक्कते आ रही है, एवं इनके रहवासियों द्वारा कालोनी की रख—रखाव सुरक्षा, पानी, बिजली, आदि हेतु सहकारी समिति का गठन करना चाहते है।

अतः इस तरह का प्रस्ताव प्राप्त होने पर सहकारी अधिनियम के अंतर्गत आवासीय (रेसीडेंसीयल) सहकारी संस्था का गठन कर उसे "साधारण वर्ग" में वर्गीकरण किया जावें। संस्था की उपविधि में एकरूपता के लिए आदर्श उपविधि अनुमोदित किया जाता है। समिति के पंजीयन हेतु सहकारी अधिनियम / नियम में उल्लेखित प्रावधान एवं शर्ते लागू होगे।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

19/9/2016

(जे0 पी0 पाठक)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

T2/All Section Files/Nirwachan/jan2016 Panjian/P-483

आवासीय (रेसीडेन्सीयल) सहकारी संस्था की आदर्श उपविधियां

उपविधि कमांक 1 :– नाम पता तथा कार्यक्षेत्र

इस संस्था का नाम .... आवासीय सहकारी संस्था मर्यादित होगा और इसका पंजीकृत किया हुआ पता .... तहसील ...., जिला ...., छत्तीसगढ़ होगा।

इस संस्था का कार्यक्षेत्र .... तक सीमित होगा।

संस्था के पंजीकृत पते में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर उसकी सूचना पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ0ग0 तथा प्रत्येक सदस्य को 30 दिन के अन्दर रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाएगी।

उपविधि कमांक 2 :– परिभाषायें –

इस उपविधि में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो –

01. "अधिनियम" का अर्थ छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (यथा संशोधित) से है।
02. "उपविधि" का अर्थ संस्था की पंजीकृत उपविधि से है।
03. "कर्मचारी" का अर्थ बोर्ड द्वारा संस्था के कार्य संचालन के लिए नियुक्त सेवा युक्त कर्मचारियों से है।
04. "नियम" का अर्थ छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी नियम 1962 (यथा संशोधित) से है।
05. "पंजीयक" का अर्थ पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ या वह अधिकारी जिसे संस्था के लिए पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु शासन से प्राधिकृत किया हो, से है।
06. "राज्य शासन" का अर्थ छत्तीसगढ़ शासन से है।
07. बोर्ड का अभिप्रेत है, बोर्ड आफ डायरेक्टरर्स अथवा सहकारी सोसायटी का शासी निकाय जो चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हों। जिसे सहकारी सोसायटी के कियाकलापों का निर्देषन एवं नियंत्रण का भार सौंपा गया हों।
08. "सहकारी वर्ष" से तात्पर्य 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष से है।
09. "सेवा नियम" का अर्थ अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत पंजीयक द्वारा कर्मचारियों के लिए प्रसारित सेवा नियमों से है।
10. "संस्था" का अर्थ उपविधि कमांक 1 में वर्णित संस्था से है।
11. "परिवार" का अर्थ पति, पत्नि तथा अवयस्क बच्चों से है। बच्चों में दत्तक बच्चे भी सम्मिलित माने जावेंगे।
12. विनिर्दिष्ट पद से अभिप्रेत है संस्था का अध्यक्ष।
13. प्रतिनिधि से अभिप्रेत है सोसायटी का ऐसा कोई सदस्य जो इस सोसायटी का प्रतिनिधित्व अन्य सोसायटी में करने के लिए बोर्ड द्वारा निर्वाचित किया गया हो।
14. आयोग से तात्पर्य सहकारी सोसायटियों के निर्वाचन का संचालन और उस पर अधीक्षण निर्देशन व नियंत्रण हेतु निर्दिष्ट प्राधिकारी ''राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग'' से है।

आदर्श उपविधि

Approved
Addl. Registrar
Coop. Socs. Chhattisgarh
Raipur

उपविधि कमांक – 3 : उद्देश्य :–

इस संस्था का मुख्य उद्देश्य वैध आवासीय परिसर में अपने सदस्यों के लिए परिसर की देखरेख करना तथा इनके लिए :–

1. आवासीय परिसर में जल प्रदाय, नाली सफाई, प्रकाश, सुरक्षा व्यवस्था व इसी प्रकार की अन्य आवश्यक उपयोगी व्यवस्था करना, इस हेतु साधारण सभा द्वारा तयशुदा निर्धारित मासिक शुल्क लेना।
2. सदस्यों के लिए कालोनी में सामाजिक एवं मनोरंजन कार्यों हेतु आवश्यक व्यवस्था करना और उन्हें चलाना।
3. आमसभा के निर्णय अनुसार सदस्यों के भवनों में अनुरक्षण आदि करना व करवाना।
4. आमसभा के निर्णय से उक्त सभी उद्देश्य की पूर्ति हेतु सभी आकस्मिक और उपयोगी कार्य करना।

उपविधि कमांक 4 : पूंजी एवं निधियां :–

संस्था द्वारा आवश्यक पूंजी निम्न लिखित साधनों से एकत्रित की जावेगी।

1. अंश निर्गमन द्वारा।
2. प्रवेश शुल्क लेकर।
3. अमानतें जमा कराकर या अग्रिम धन लेकर।
4. आमसभा द्वारा निर्धारित तय मासिक शुल्क लेकर।
5. अनुदान/सहायता/दान लेकर।
6. लाभ में से रक्षित निधि एवं अन्य निधियां बनाकर।

संस्था की पूंजी उपविधि कमांक 3 में उल्लेखित कार्यों में लगाई जावेगी। शेष पूंजी जब तक कि उसकी उन कार्यों के लिए आवश्यकता न हो अधिनियम की धारा 44 के अनुसार विनियोजित की जावेगी।

उपविधि कमांक 5 : सदस्यता :–

संस्था का सदस्य बनने के लिए में निम्न अर्हतायें होनी आवश्यक है :–

1. वह संस्था के कार्यक्षेत्र का निवासी हो और उसने संस्था की उपविधियों को पढ़कर मान्य कर लिया हो,
2. उसका आचरण अच्छा हो तथा भारत का नागरिक हो।
3. उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो और जो अनुबंध करने में सक्षम हो, परन्तु मृत सदस्यों के अल्पव्यवस्क उत्तराधिकारियों के लिए आयु का प्रतिबंध लागू नहीं होगा। परन्तु अवयस्क को न्यायालय द्वारा नियुक्त किये गये संरक्षक के माध्यम से सदस्य के रूप में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे सदस्य अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अपने संरक्षक के माध्यम से अधिकार का उपयोग उन दायित्वों के अधीन रहते हुए करेंगे जो इस उपविधि में उल्लेखित है।
4. उसने अंश कय हेतु 500/– की राशि व प्रवेश शुल्क रू. 50/– जमा कर दिया हो।
5. उसे दिवालिया घोषित न किया गया हो।

Approved
Addl. Registrar
Coop. Socs. Chhattisgarh
Raipur

6. उसे राजनैतिक दंड की सजा छोड़कर किसी नैतिकता संबंधी अपराध में दण्डित न किया गया हो, परन्तु यदि दण्ड की अवधि से पांच वर्ष व्यतीत हो गये हो तो यह अयोग्यता लागू नहीं होगी।

7. वह अधिनियम की धारा 48–ए के अधीन निरर्हित न हो।

आरंभ में सदस्य वे होगे जिन्होंने संस्था के पंजीयन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हो। उसके उपरान्त परिसर स्थित सभी भवन/भूमि स्वामी को नये सदस्य प्रवंध समिति की स्वीकृति से सम्मिलित किये जायेंगे।

उपविधि कमांक 6 :— सदस्यता शुल्क

1. संस्था में आवेदन पत्र के साथ रू. 50/— प्रवेश शुल्क, तथा रूपये 500/— के अंश कय करने के लिए धनराशि जमा करनी होगी।

2. प्रवेश शुल्क एवं अंश की राशि केवल संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक को संबोधित बैंक ड्राफ्ट या चेक जमा कराकर नियमानुसार रसीद प्राप्त की जायेगी।

उपविधि कमांक 7 :— सदस्यता प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र

1. सदस्यता अंश कय करने के लिए संस्था के अध्यक्ष को निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना पत्र देना होगा। सदस्यता के प्रार्थना पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में एक विधिवत् सत्यापित शपथ पत्र देना होगा जिसमें उपविधि कमांक 5 में सदस्यता हेतु जो अर्हतायें दर्शाई गई है, वे अर्हतायें आवेदक की है, यह शपथ पत्र पर सत्यापन व घोषणा करनी होगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संस्था के प्रबंधक को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकेगा।

2. संस्था की सदस्यता हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रत्येक आवेदन को अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में प्रबंधक द्वारा प्राप्त किया जावेगा और अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि बोर्ड की बैठक में प्राप्त हुए सभी सदस्यता आवेदनों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करें, जिन पर बोर्ड अधिनियम, नियमों व उपविधियों के अधीन स्वीकृत, अस्वीकृत करने संबंधी निर्णय लेगी।

उपविधि कमांक 8 :— सदस्यता हेतु आवेदन पत्र पर विचार

1. सदस्यता हेतु प्राप्त आवेदन पत्र का निराकरण आवेदन पत्र प्रस्तुत होने के बाद बोर्ड की आगामी बैठक में अनिवार्य रूप से किया जावेगा। किसी व्यक्ति को संस्था की सदस्यता तभी दी जा सकेगी:—

1. जब उसने सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 14 की शर्तें पूरी की हो।
2. वह उपविधि कमांक 5 में उल्लेखित अर्हताएं रखता हो।
3. उसने उपविधि कमांक 6 व 7 पालन किया हो।

Approved

बोर्ड को यह अधिकार होगा कि वह उपरोक्तानुसार पूर्ण आवेदन को स्वीकृत करें।

Addl. Registrar
Coop. Socs. Chhattisgarh
Raipur

2. संस्था द्वारा सदस्यता आवेदन पंजी तथा सदस्यता पंजी के रूप में दो पृथक–पृथक पंजियां संधारित की जावेगी। प्रथम पंजी में नवीन एवं सदस्यता समाप्ति हेतु संस्था में सदस्यता हेतु प्राप्त होने वाले प्रत्येक आवेदन की प्रविष्टि की जावेगी तथा दूसरी वाली सदस्यता पंजी में सदस्यता प्रदान

आदर्श उपविधि

करते ही सदस्य के संबंध में प्रविष्टि अंकित की जावेगी। इन दोनों पंजियों में प्रविष्टियां क्रमानुसार ही की जावेगी और किसी भी स्थिति में इसमें परिवर्तन नहीं होगा।

3. संस्था सदस्यों की वरिष्ठता सूची रखेगी जिसमें उनका नाम, पिता एवं माता का नाम, जन्म तिथि तथा आयकर की स्थायी लेखा संख्या मोबाईल या दूरभाष नम्बर यदि कोई हो तो समाविष्ठ होगी, ऐसी सूची सदस्यों के प्रवेश के अनुसार तैयार की जायेगी तथा सोसायटी द्वारा प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रकाशित की जायेगी। प्रत्येक वर्ष अद्यतन की जायेगी तथा जिले के संबंधित संयुक्त/उप/सहायक रजिस्ट्रार को भेजी जायेगी। संस्था सदस्यों को वरिष्ठता सूची के साथ अपना वार्षिक तुलनपत्र तथा अस्तियों तथा दायित्वों की प्रविष्टियां जिले के संयुक्त/उप/सहायक रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगी। यह जानकारी जन साधारण को सोसायटी के सूचना पटल एवं वेबसाईट पर उपलब्ध कराई जायेगी।

4.

अ. सोसायटी का प्रत्येक सदस्य, विधिक खर्चों एवं सेवाओं के लागत जो आमसभा द्वारा निर्धारित किये गये राशि को समिति में जमा करेगा।

ब. यदि कोई सदस्य यथास्थिति, विधिक व्यय, अनुरक्षण तथा सेवाओं की राशि विहित समय के भीतर जमा करने में असफल रहता है, तो सोसायटी तीन मास से अधिक की किसी कालावधि के लिए 20 प्रतिशत की दर से अधिभार अधिरोपित करेगी और यदि तीन मास से परे व्यक्तिक्रम जारी रहता है, तो सेवाएं तुरन्त बन्द कर दी जाएगी, साथ ही अधिनियम के प्रावधान के अनुसार वसूली हेतु वाद दायर करेगी।

परन्तु ऐसी सेवाओं को तब तक बन्द नहीं किया जाएगा, जब तक कि संबंधित सदस्य को समिति द्वारा सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

द. सोसायटी का प्रत्येक सदस्य, साधारण सभा के प्रत्येक सम्मिलन में उपस्थित रहेगा जिसकी की जानकारी उसे सोसाईटी से प्राप्त होगी और समिति को पूर्व सूचना के बिना अनुपस्थिति की दशा में अनुपस्थित रहने के लिये स्वयं दण्ड का भागी होगा।

परन्तु कोई भी जुर्माना तब तक अधिरोपित नहीं किया जायेगा जब तक कि संबंधित सदस्य को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया है।

उपविधि क्रमांक 9 :– सदस्यता रजिस्टर

क. प्रत्येक सदस्य को सदस्यता के रजिस्टर में हस्ताक्षर करने होंगे और अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करने कर अधिकार होगा। उत्तराधिकारी मनोनीत करने के उपरान्त यदि किसी प्रकार का परिवर्तन हो तो नए उत्तराधिकारी के नाम दो साक्षियों के समक्ष लिखा जा सकेगा तथा आवेदक व साक्षियों के हस्ताक्षर लिए जावेंगे।

ख. प्रत्येक सदस्य को लिखकर देना होगा कि संस्था की उपविधियों का और उपविधियों में जो भी संशोधन उसकी सदस्यता की अवधि में होंगे वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेगा।

उपविधि क्रमांक 10 :– सदस्यता से त्यागपत्र।

संस्था का कोई भी सदस्य संस्था में निर्धारित प्रारूप में लिखित आवेदन पत्र देकर सदस्यता समाप्ति हेतु निवेदन कर सकेगा। त्याग पत्र हेतु आवेदन संस्था के अध्यक्ष को संबोधित होगा और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्रबंधक को सौपा जा सकेगा। संस्था की प्रबंध समिति त्याग पत्र प्राप्त होने पर अपनी बैठक में पारित प्रस्ताव द्वारा त्याग पत्र को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी। यदि त्यागपत्र अस्वीकार किया जाता है तो उसके कारण अभिलिखित करने अनिवार्य होंगे।

Approved

Addl. Registrar
Coop. Socs. Chhattisgarh
Raipur

परन्तु यह भी संस्था के मूल प्रस्तावक से कोई सदस्य त्याग पत्र देता है तो वह तभी प्रभावशील होगा जबकि पंजीयक प्रस्तावक सदस्य से त्याग पत्र को स्वीकार किये जाने संबंधी निर्णय को अनुमोदित कर दें।

उपविधि कमांक 11 :— सदस्यता का निष्कासन

कोई सदस्य तदाशय हेतु आमंत्रित प्रबंध समिति की बैठक में उपस्थित एवं मतदान की पात्रता रखने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा निम्नलिखित में से किन्ही कारणों से संस्था की सदस्यता से वंचित किया जा सकेगा।

क. कोई ऐसा कार्य, जिससे संस्था की साख को क्षति पहूँचाने की संभावना हो या जिससे उसकी कुख्याति होने की संभावना हो साशय करता है या

ख. अपने द्वारा देय धनों का भुगतान करने में बार—बार व्यक्तिकम करता है या उपविधियों के किन्हीं भी उपबन्धों का अनुपालन करने में चूक करता है।

परन्तु कोई ऐसा संकल्प तब तक विधि मान्य नहीं होगा जब तक कि संबंधित सदस्य को उसे वंचित करने संबंधी प्रस्तावना की सात दिन की सूचना या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टीकृत डाक द्वारा न दे दी गई हो और जब तक कि उसे अपने मामले के संबंध में समिति के समक्ष में अभ्यावेदन करने का अवसर न दे दिया हो।

उपविधि कमांक 12 : सदस्यता की समाप्ति :

निम्नलिखित में से किसी भी कारण से किसी व्यक्ति की सदस्यता समाप्त हो जावेगीः—

1. मृत्यु हो जाने पर।
2. उसके द्वारा धारित अंश किसी अन्य को स्थानांतरित हो जाने पर।
3. किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त होने पर देय राशि का भुगतान सदस्य पर बकाया के समायोजन के उपरान्त एक सप्ताह में कर देगी। किन्तु वह सदस्यता समाप्ति की तिथि को देय राशि का भुगतान करेगा। जो उसकी सदस्यता समाप्ति की तिथि को देय थी।
4. सदस्य की मृत्यु की दशा में उसके अंशों या जमा राशि में से उससे वसूली योग्य राशि कम करके शेष राशि उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति या नामांकन के अभाव में प्रबंध समिति के निर्णयानुसार ऐसे व्यक्ति का जो उसके वैधानिक उत्तराधिकारी के रूप में उक्त राशि प्राप्त करने का अधिकारी हो, को समिति बांड भरने पर भुगतान की जावेगी।

उपविधि कमांक 13 : नाम मात्र का सदस्य :

संस्था के साथ वित्तीय संबंध रखने वाले व्यक्ति जैसे ठेकेदार, सप्लायर्स, विक्रेता, एजेंट तथा उनके जमानतदार, किरायेदार को बोर्ड नाम मात्र का सदस्य बना सकेगी। नाम मात्र के सदस्य को अंश विक्रय नहीं किये जावेंगे किन्तु उनसे रूपये 500/— का शुल्क प्रति व्यक्ति लेकर नाम मात्र की सदस्यता प्रदान की जायेगी। ऐसे सदस्य संस्था के प्रबंध समिति की मतदान तथा लाभ के वितरण में भाग नहीं ले सकेगे, संस्था के साथ वित्तीय संबंध बने रहने तक वे नाम मात्र सदस्य बने रहेंगे।

<u>नाममात्र के सदस्य के अधिकार एवं कर्तव्य</u>

1. मकान/भवन को किराये पर दिये जाने के पूर्व समिति को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।
2. मकान मलिक एवं किरायेदार के बीच हुये किरायानामा अनुबंध पत्र की प्रति अनिर्वाय रूप से समिति में जमा करेगा।

Approved

Addl. Registrar
Coop. Socs. Chhattisgarh
Raipur

3. नाममात्र के सदस्य को समिति 500.00 रूपये जमा कराना अननिवार्य होगा। परन्तु उन्हें अंश विक्रय नही किया जावेगा।
4. किरायेदार को समिति से प्राप्त सुविधाओं के बदले निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।
5. किरायेदार के ऊपर समिति द्वारा निर्धारित नियम बंधनकारी होगा।
6. मकान मालिक एवं किरायेदार के बीच विवाद की स्थिति में सहकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत निराकरण किया जावेगा, जो दोनो पक्षों को मान्य होगा।

उपविधि कमांक 14 :– सदस्यों के अधिकार एवं दायित्व

अ.

संस्था के प्रत्येक सदस्य को निम्नलिखित अधिकार होंगे।

1. संस्था द्वारा सदस्यों को प्रदान की जा रही सेवाओं का लाभ उठाने का अधिकार।
2. अपने में से संस्था के बोर्ड के सदस्य को मत देकर चुनने का अधिकार।
3. उपविधियों, नियमों अधिनियमों के अनुसार संस्था की आम सभा में भाग लेकर मतदान का अधिकार।
4. संस्था की गतिविधि एवं उसकी प्रगति के बारे में जानकारी अध्यक्ष अथवा प्रबंधक को लिखित आवेदन देकर प्राप्त करने का अधिकार।
5. संस्था के किसी भी कर्मचारी द्वारा अनियमितताएं की जा रही है, तो समिति द्वारा जांच करवाने पर पाये जाने या सिद्ध होने पर उसकी सूचना अध्यक्ष या प्रबंधक को देने का अधिकार।
6. संस्था के किसी भी सदस्य द्वारा संस्था के गठन के उद्देश्यों के विरूद्ध कार्य करने पर, उसकी सूचना संस्था के अध्यक्ष को देने का अधिकार।
7. संस्था के सदस्यों को अधिनियम की धारा 28 के उपबंधों के अनुसार संस्था की पुस्तकें और अभिलेखों की जानकारी देने का अधिकार होगा।

ब.

संस्था के प्रत्येक सदस्य को सदस्यता बनाये रखने व मत देने के लिए पात्रता धारण करने के लिए निम्न कृत्य आवश्यक होंगे :–

1. संस्था के गठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये जा रहे कार्यों / कार्यवाहियों के संचालन में संस्था के पदाधिकारियों / अधिकारियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
2. संस्था के सदस्य होने के लिए आवश्यक अर्हतायें बनाये रखना।
3. संस्था के हितों के विरूद्ध कार्य न करना।
4. संस्था द्वारा उसे जिन शर्तो पर सेवाएं आदि प्रदान किया गया हो उनका पालन करना।
5. संस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु उसके पदाधिकारियों / अधिकारियों द्वारा किये गये विधि सम्मत निर्देशों का पालन करना।
6. संस्था के पक्ष में उसकी देयताओं को समय पर पूर्ण करना।
7. सभी सदस्य संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की न्यूनतम स्तर का उपयोग करने हेतु प्रतिबद्ध होंगे। ऐसी सेवाओं की न्यूनतम स्तर का निर्धारण पंजीयक द्वारा समय समय पर अधिनियम की धारा 48 की उप धारा 7(ख) के उपबंधों के अधीन किया जा सकेगा, जो सभी सदस्य पर बंधनकारी होगा।

Approved

Addl. Registrar
Coop. Socs. Chhattisgarh
Raipur

उपविधि कमांक 15 :— अंश प्रमाण पत्र

एक अंश प्रमाण पत्र प्रत्येक के लिए हुए अंश अथवा अंशों के लिए दिया जावेगा जिस पर अध्यक्ष तथा प्रबंधक के हस्ताक्षर होंगे और संस्था की मुद्रा लगाई जावेगी। किसी सदस्य को अपना अंश अन्य व्यवित को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा जब तक वह व्यक्ति संस्था की सदस्य न हो अथवा जिसे संस्था ने सदस्य बनाना स्वीकृत न किया हो और प्रत्येक स्थिति में हस्तांतरण उस समय तक नहीं हो सकेगा जब तक कि प्रबंध समिति ने उसकी स्वीकृति न दी हो एवं रूपये 10/— हस्तांतर करने का शुल्क जमा हुआ हो। जब तक अंश हस्तांतरण संस्था के रजिस्टरों में नहीं लिखा जाता, उस समय तक जिसके नाम से हस्तांतर होगा उसका कोई अधिकार समिति के विरूध्द प्राप्त नहीं होगा न उसकी परिणाम उस विवाद पर होगा जो संस्था के अंश हस्तांतरण करने वाले पर किया हो।

उपविधि कमांक 16 : साधारण सभा व्यापक — सम्मेलन

संस्था के कारोबार के संबंध में साधारण सभा को पूर्ण अधिकार होंगे। वार्षिक साधारण सभा की बैठक प्रति वर्ष सहकारी वर्ष की समाप्ति के छैः माह के अन्दर आहूत की जावेगी। इसके अतिरिक्त जब भी आवश्यक हो प्रबंध समिति के प्रस्ताव अथवा संस्था से कम से कम 1:10 सदस्यों के लिखित प्रार्थना पत्र पर जिसमें साधारण सभा बुलाये जाने का उद्देश्य हो अथवा पंजीयक के आदेश पर विशेष साधारण सभा की बैठक एक माह के अन्दर बुलाई जायेगी। संस्था के पंजीयन सदस्यों को जो प्रथम साधारण सथा की बैठक एक माह के अन्दर बुलाई जायेगी। संस्था के पंजीयन के पश्चात सदस्यों को जो प्रथम साधारण सभा होगी उसको वे ही अधिकार होंगे जो इन उपविधियों में वार्शिक साधारण सभा को दिये गये है।

उपविधि कमांक 17 : गणपूर्ति (कोरम) —

साधारण सभा अथवा विशेष साधारण सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति आव यक होगी। साधारण सथा/विशेष साधारण सभा, सभी की सूचना जारी करने के दिनांक को संस्था की कुल सदस्यता संख्या 1:10 भाग अथवा 50 सदस्य इनमें से जो भी कम हो गणपूर्ति के लिए आवश्यक होगा।

बैठक के लिए नियत किए हुए समय पर यदि गणपूर्ति नहीं हो तो यह बैठक यदि सदस्यों के मांग पर बुलाई गई तो स्थगित नहीं की जावेगी। बल्कि निरस्त कर दी जावेगी। अन्य स्थिति में वह दूसरी ऐसी अन्य तारीख और समय के लिए स्थगित की दी जावेगी जो उपस्थित सदस्य निश्चित करें किन्तु ऐसी स्थगित बैठक के लिए भी गणपूर्ति होना आवश्यक होगा। सम्मेलन का अध्यक्ष इस तथ्य की ओर उसका ध्यान आकृष्ट किये जाने पर या स्वप्रेरणा से सम्मेलन को ऐसी सुविधाजनक तारीख समय और स्थान के लिए जैसा वह उचित समझे स्थगित कर देगा और इस स्थगित सम्मेलन जो गण्पूर्ति में ही किया जावेगा, किये जाने वाले कार्य को सम्मेलन में सामान्य रीति से निपटाया जावेगा। परन्तु ऐसी स्थिति में पहले की कार्य सूची में लिए हुए विशय के अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर विचार नहीं किया जावेगा।

उपविधि कमांक 18 : बैठक की सूचना —

1. आमसभा की कार्यसूची, समय तथा स्थान की सूचना प्रत्येक सदस्य को 14 दिवस पूर्व दी जावेगी।

Approved

Addl. Registrar
Coop. Socs. Chhattisgarh
Raipur

2. उपविधियों के संशोधन की स्थिति में प्रस्तावित संशोधन की रूप–रेखा सूचना के साथ प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी।

3. साधारण/विशेष साधारण सभा की बैठक की सूचना निम्न प्रकार से दी जावेगी :–

अ. साधारण विशेष सम्मेलन की सूचना प्रत्येक सदस्य व्यक्तिशः प्रदत्त करके

ब. साधारण डाक से प्रेषित् कर और सोसायटी के क्षेत्र में प्रसारित स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराई जायेगी।

स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन उपरांत समय पर तामील न होने के कारण बैठक की कार्यवाही अवैध नही होगी।

उपविधि कमांक 19 : साधारण सभा के अधिकार –

(अ) वार्षिक साधारण सभा में उन कार्यों के अतिरिक्त जो इन उपविधियों के अनुसार प्रस्तुत हो निम्नलिखित काम होंगे :–

1. इन उपविधियों के अनुसार प्रबंध समिति का चुनाव करना।
2. वार्षिक पत्रक और उनसे संबंधित समिति की रिपोर्ट पर विचार करना।
3. लाभ का वितरण स्वीकृत करना।
4. संस्था के वार्षिक व्यय का बजट स्वीकृत करना।
5. यह निश्चित करना की अमानतें कितनी, किस अवधि के लिए और ब्याज दर से ली जावें।
6. संस्था के आडिट तथा निरीक्षण टीप पर समिति द्वारा जो कार्यवाही की गई हो उसे देखना और जहां आवश्यकता हो उचित आज्ञायें देना।
7. संस्था के कार्य की देख–भाल करने हेतु एक अतिरिक्त अंकेक्षक की नियुक्त करना और पारिश्रमिक निश्चित करना।
8. संस्था के कार्य संचालन के लिए उपविधियों में आवश्यक संशोधन पर विचार करना।
9. बोर्ड के सदस्यों पर बकाया ऋण व अन्य अग्रिम की जानकारी अवगत कराना होगा।
10. संस्था के वार्षिक वित्तीय पत्रक के अंकेक्षण हेतु संपरिक्षक की नियुक्ति हेतु निर्णय लिया जावेगा।
11. संस्था के लेखा परीक्षा हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति करना। चालू वर्ष, आगामी वर्ष और यदि लंबित अंकेक्षण हो तो गत वर्ष की लेखाओं की संपरीक्षा कराने हेतु भी संपरीक्षक नियुक्त करना।
12. अन्य बातों पर विचार करना, जो बोर्ड अथवा सदस्यों की ओर से प्रस्तुत की जावें।

(ब)

साधारण सभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से कोई भी सदस्य कार्य सूची में न दिया हुआ प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर सकता है। परन्तु ऐसा प्रस्ताव किसी सदस्य के निकाले हुए सदस्य को पुनः प्रवेश देने अथवा उपविधियों में संशोधन करने अथवा ब्याज दर में कमी या वृध्दि करने के संबंध में नहीं होगा।

(स)

संस्था का अध्यक्ष, उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष यदि दोनों उपस्थित न हो तो आमसभा में उपस्थित सदस्यों के द्वारा आमसभा के अध्यक्षता किये जाने हेतु निर्धारित किया जायेगा तथा निर्धारित सदस्य द्वारा साधारण/विशेष साधारण सभा की अध्यक्षता करेगा।

परन्तु ऐसी स्थिति में जब कि अधिनियम की धारा 49(8) के तहत पंजीयक द्वारा संस्था का कार्य सम्हाल लिया हो, अथवा धारा 53(1) के तहत प्रबंध समिति की अधिष्ठित किया गया हो अथवा

Approved

Addl. Registrar
Coop. Socs. Chhattisgarh
Raipur

धारा 43(13) के तहत निर्वाचित प्रबंध समिति के स्थान पर नामांकित समिति गठित की गई हो, साधारण सभा की अध्यक्षता पंजीयक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा की जावेगी।

उपविधि कमांक 20 :— सदस्यों का मताधिकार

साधारण सथा में प्रत्येक सदस्य को केवल एक ही मत देने का अधिकार होगा। भले उसने संस्था के कितने ही अंश लिये हो। सदस्य के प्रतिनिधि द्वारा मतदान नहीं कर सकेगा। उसी सदस्य को मतदान में भाग नही ले सकेगा। सदस्य को मतदान का अधिकार होगा, अधिकार प्राप्त होगा जो संस्था का कम से कम एक अंश का अधिकारी हो और जिसे मतदान दिनांक से कम से कम 04 माह पूर्व प्रबंध समिति द्वारा सदस्यता स्वीकृत हो गई हो। संस्था के बोर्ड का चुनाव अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानुसार होगा। समान मतों की दशा में अधिनियम के प्रावधान अनुसार लाट डालकर निर्णय लिया जावेगा, लाट निकाले जाने हेतु सदस्य से पृथक व्यक्ति होगा।

उपविधि कमांक 21 : बोर्ड की सदस्यता के लिए अनर्हताएं —

यदि कोई भी व्यक्ति बोर्ड के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने हेतु योग्य न होगा तथा उस रूप में अपने पद पर नहीं रहेगा यदि :—

1. वह संस्था या अन्य सहकारी संस्था से लिए हुए किसी बकाया/अग्रिम या संस्था की देयताओं को चुकाने में 12 माह से अधिक का व्यतिक्रमी हों। ऐसे सदस्य को बोर्ड के निर्वाचन में भाग नही ले सकेगा।
2. संस्था में किसी लाभ के पद पर है अथवा स्वीकार कर लिया गया हो।
3. उसकी जनवरी 1999 के पश्चात् तीसरी संतान पैदा हुई हो।
   अधिनियम व नियमों के किसी प्रावधान के तहत प्रबंध समिति में पद धारण करने के लिए अयोग्य हो गया हो उसी प्रकार का धंधा करता हो जो संस्था करती है।
4. संस्था के किसी कर्मचारी का निकट संबंध हो।
5. निर्वाचन दिनांक से 04 माह पूर्व से संस्था का सदस्य ना हों।

उपविधि कमांक 22 : बोर्ड —

1. संस्था की एक बोर्ड होगी। बोर्ड के कुल 12 (बारह) सदस्य होंगे, जिसमें 11 (ग्यारह) सदस्य आम सभा द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे। निर्वाचित सदस्यों में से दो स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होगे तथा अधिनियम की धारा 48 की उपधारा 3 के अनुसार आवश्यक स्थान आरक्षित होंगे जिनका विनिश्चय नियम 22(3) क के अनुसार पंजीयक द्वारा किया जावेगा। उक्त 11 (ग्यारह) निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त एक मनोनीत सदस्य होंगे, जिसमें से एक सदस्य पंजीयक का प्रतिनिधि।
2. आरक्षित स्थान निर्वाचन द्वारा न भरे जाने की स्थिति में बोर्ड के निर्वाचित सदस्य निर्वाचन पश्चात सहयोजन के लिए आयोजित बैठक में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वर्ग के सदस्यों में से सहयोजन द्वारा करेंगे जिसके लिए स्थान आरक्षित है।
3. गणपूर्ति के अभाव में सहयोजन नहीं किया जावेगा।
4. आरक्षित स्थान निर्वाचन अथवा सहयोजन द्वारा न भरे जाने की दशा में राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग उसी वर्ग के सदस्यों में से जिसके लिए कि वह स्थान आरक्षित है, नामांकन द्वारा पूर्ति करेंगे।
5. बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन होने पर बोर्ड अपने में से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेंगा।

Approved

Addl. Registrar
Coop. Socs. Chhattisgarh
Raipur

6. अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन तथा सहयोजन की बैठक की अध्यक्षता निर्वाचन अधिकारी करेगा।

7. समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति 1/2 से अधिक हो, होगी।

8. प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। 5 वर्ष की अवधि की गणना प्रबंध समिति की प्रथम बैठक जिसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन हो, के दिनांक से होगी।

9. कोई व्यक्ति स्वयं अथवा पति या पत्नी, माता या पिता, पुत्र या पुत्री, भाई या बहन, भाई की पत्नी या बहन का पति, पुत्र की पत्नी या पुत्री का पति संस्था के संचालक मंडल के विनिर्दिष्ट पद पर दो या दो से अधिक कार्यकाल तक रह चुके हो धारण नहीं कर सकेगा।

उपविधि कमांक 23 :– प्रतिनिधियों का निर्वाचन

1. अन्य सहकारी संस्थाओं जिनमें की संस्था सम्बध हो, में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन बोर्ड अपने में से करेगी तथा उक्त बैठक की अध्यक्षता पीठासीन अधिकारी करेगा। ऐसे प्रतिनिधियों का कार्यकाल उस संस्था की प्रबंध समिति के कार्यकाल के समरूप होगा जिसके लिए प्रतिनिधि चुना गया हो।

2. बोर्ड के कार्यकाल में हुए उसके सदस्य अथवा प्रतिनिधि के किसी आकस्मिक रिक्त स्थान की पूर्ति बोर्ड के सदस्यों के द्वारा उसी वर्ग के सदस्यों में से सहयोजन द्वारा समिति के इस कार्यकाल तक की अवधि के लिए की जावेगी। कोरम पूर्ति के अभाव में सहयोजन नहीं किया जावेगा, ऐसी बैठक की अध्यक्षता पंजीयक द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा की जावेगी। अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की आकस्मिक रिक्त होने पर नये अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन अधिकारी द्वारा कराया जावेगा।

परन्तु यह आवश्यक होगा कि प्रबंध समिति के किसी सम्मेलन में कोई सहयोजन तब तक नहीं किया जावे जब तक कि उस सम्मेलन के लिए प्रसारित कार्य सूची में इस नियम को सम्मिलित न कर लिया गया हो तथा गणपूर्ति न हो। ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जावेगी।

उपविधि कमांक 24 :– बोर्ड के अधिकार

उन उपविधियों के अनुसार तथा आम सभा के समय–समय पर विधि अनुसार किये हुए प्रस्ताव एवं ठहराव के अधीन संस्था का कारोबार चलाने के लिए बोर्ड को पूरे अधिकार होगे। ये सब कार्य जो बोर्ड ने अथवा किसी ने बोर्ड के सदस्य होने के नाते किये हो, यद्यपि बाद में यह मालूम हो कि समिति का चुनाव या उसके किसी सदस्य का निर्वाचन सहकारी संस्था के विधान या उसके अन्तर्गत नियम या उपनियमों के विरूध्द था, उसी प्रकार उचित समझे जायेंगे जिस प्रकार बोर्ड या उसके किसी ऐसे सदस्य का निर्वाचन उक्त विधान नियम या उपविधियों के अनुसार होने पर उचित होते।

उपविधि कमांक 25 :– बोर्ड की बैठक

1. बोर्ड की बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जावेगी। परन्तु कम से कम माह में एक बार बैठक आवश्यक बुलाई जायेगी। यदि बोर्ड का काई सदस्य लगातार तीन बैठक में बोर्ड की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है तो बोर्ड उसे सुनवाई का अवसर देने के बाद प्रबंध समिति की सदस्यता से अलग कर सकती है। ऐसे अलग हुआ सदस्य फिर एक वर्ष तक बोर्ड का सदस्य नहीं चुना जा सकेगा।

Approved

Addl. Registrar
Coop. Socs. Chhattisgarh
Raipur

2. सब प्रस्तावों का निर्णय बहुमत से किया जावेगा। दोनों पक्ष में समान मत होने की स्थिति में अध्यक्ष को अपना एक निर्णायक मत देने का अधिकार होगां कोई ऐसा प्रश्न जिसमें बोर्ड के किसी सदस्य का निजी संबंध हो तो उस समय वह सदस्य बोर्ड की बैठक में सम्मिलित न हो सकेगा।

उपविधि कमांक 26 :– बोर्ड के कर्तव्य तथा अधिकार

(अ)

1. पानी के निकासी हेतु नालियां बनाना एवं प्रकाश आदि व्यवस्था करना तथा अन्य ऐसे काम करना जो उपरोक्त कार्य हेतु आव यक हो।
2. संस्था के द्वारा कार्य संचालन हेतु वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उनको अधिकार देना दण्डित करना, पदोन्नत करना, उनके अवकाश स्वीकृत करना, उसे आवश्यक प्रतिभूती के रूप में जमानत लेना।
3. आम सभा द्वारा स्वीकृत बजट के अन्दर खर्च करनां
4. नये सदस्यों को सदस्यता प्रदान करना और उनके अंश स्वीकृत करना तथा सदस्यों के सदस्यता, अंश स्वीकृति एवं अंश वापसी संबंधी प्रार्थना पत्रों पर विचार करना और उनको स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करना।
5. संस्था के काम काज संबंधी शिकायतों को सुनना और निराकरण करना।
6. आवश्यकतानुसार संस्था की ओर से ऋण लेना और तय करना कि ऋण दस्तावेजों पर संस्था की ओर से कौन हस्ताक्षर करेगा।
7. सदस्यों के त्यागपत्र स्वीकार करना और उनके निष्कासन पर निर्णय लेना।
8. अमानतें प्राप्त करना।
9. प्रबंधक के कार्यो की जांच करना और यह देखना कि संस्था के हिसाब के तथा अन्य रजिस्टर ठीक प्रकार से रखे जाते है।
10. जो वैधानिक कार्यवाही अथवा वाद संस्था की ओर से अथवा उनके किसी और कार्य के अथवा कर्मचारी के विरूध्द संस्था के कारोबार के संबंध में हो उनमें पैरवी करना, समझौता करना, अथवा वाद वापिस लेना तथा संस्था की ओर से पैरवी करने के लिए संस्था के किसी संचालक को या कर्मचारियों अधिकृत करेगा।
11. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, विभागीय अधिकारियों तथा ऐसी अधीन संस्था जिसका वह सदस्य हो के अधिकारियों को संस्था के निरीक्षण हेतु कागजात रजिस्टर, प्रस्तुत करना और उनके अंकेक्षण तथा निरीक्षण टीपों का पालन करना और उसका पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अपने पालन प्रतिवेदन को साधारण सभा में प्रस्तुत करना।
12. वार्षिक आय–व्यय पत्रक बनाना और आगामी वर्ष के लिए आय व्यय का पत्रक बनाकर साधारण सभा में प्रस्तुत करना।
13. पंजीयक द्वारा अंकित अंकेक्षण शुल्क आदेश प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर शासकीय कोशालय में जमा करना।
14. संस्था की ओर से जिसमें संस्था संबंध हो, केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा अन्य सहकारी संस्थाओं के अंश क्रय करना, अंश वापस करना और आवश्यक हस्ताक्षर करना।
15. अधिनियम की धारा 44 के अनुसार पूंजी का विनियोजन करना।
16. उपविधि कमांक 21 के अनुसार आम सभा विशेष साधारण सभा की बैठक बुलाना।
17. प्रवंध समिति के निर्वाचित सदस्यों में से अन्य संस्थाओं के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन करना।
18. प्रत्येक सहकारी वर्ष 31 मार्च के अन्त में संस्था के वित्तीय पत्रक तैयार कर पंजीयक को प्ररतुत करना।

Approved

Addl. Registrar
Coop. Socs, Chhattisgarh
Raipur

19. प्रबंध समिति के सदस्यों के त्याग पत्र प्रस्तुत होने पर उन पर विचार कर पंजीयक के प्रस्तुत करना।

20. संस्था के कारोबार के संचालन के संबंध में अधिनियम, नियम तथा इन उपविधियों को दृष्टिगत रखते हुए पूरक नियम बनाना और आम सभा से अनुमोदन प्श्चात पंजीयक का पूर्वानुमोदन लेकर तदानुसार कार्य करना।

21. वे सब कार्य करना जो संस्था के संचालन के लिए आवश्यक हो और जिनके संबंध में विशेष अधिकार, अधिनियम, नियम या इन उपविधियों के अनुसार आम सभा में वेष्टित न हो।

22. प्रत्येक सहकारी वर्ष के अंत में संस्था के सदस्यों को वरीयता क्रम सूची का प्रकाशन करना (दिनांक तथा भूखण्ड का आकार–प्रकार), इसी प्रकार वर्ष के अन्त में सदस्यों की सदस्यता सूची तैयार की जावेगी, जिसमें सदस्यों का वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिला का उल्लेख सदस्यों के नाम के समक्ष दर्शाया जावेगा। इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रकाशन संस्था के कार्यालय, वित्त–दायी संस्था के कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा किया जावेगा।

(ब)

बोर्ड अपने अधिकारों में से कोई अधिकार (क्रमांक 1,4,6,7,15,17,19,20,21 को छोडकर) अध्यक्ष या प्रबंधक को सौंप सकेगी किन्तु बोर्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत अध्यक्ष/प्रबंधक द्वारा किये गये कार्यो का विवरण प्रबंध समिति की बैठक में पुष्टि रखना अनिवार्य होगा।

(स)

वह सब कार्यवाही जो कि बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत हुई हो और जिनके संबंध में चर्चा अथवा निर्णय हुआ हो, कार्यवाही पुस्तक में लिखी जावेगी। कार्यवाही विवरण प्रबंधक द्वारा लिखा जावेगा और उस पर अध्यक्ष तथा अन्य उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर होगे। कार्यवाही पंजी संस्था के प्रबंधक की अभिरक्षा में रहेगी। अध्यक्ष एवं उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर बैठक समाप्त होने के तत्काल बाद अंतिम निर्णय प्रस्ताव के विवरण के ठीक नीचे लिये जावेंगे।

(द)

बैठक की कार्य सूची समय, तारीख तथा स्थान की सूचना जो अध्यक्ष व प्रबंधक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होगी बैठक के सात दिन पहले जारी की जावेगी। सूचना पत्र व्यक्तिशः तामिल कराया जावेगा अथवा नामांकित सदस्य के कार्यालय पर व भाासकीय सदस्य के निवास स्थान पर उसके साथ निवास करने वाले किसी संबंधी बालिक व्यक्ति के हस्ताक्षर प्राप्त कर छोड़ा जावेगा। चलित बैठक द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जा सकेगा।

उपविधि कमांक 27 :–   अपील

संसथा की बोर्ड/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/प्रबन्धक द्वारा पारित आदेश के विरूध्द से प्रभावित व्यक्ति द्वारा आदेश प्राप्ति के दिनांक से 30 दिन के भीतर पंजीयक के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकेगी।

उपविधि कमांक 28 :–   अध्यक्ष/उपाध्यक्ष

अध्यक्ष संस्था का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी रहेगा। साधारण सभा बोर्ड के प्रस्ताव में शामिल निर्णयों को ठीक प्रकार से कार्यान्वित करने का दायित्व अध्यक्ष का होगा। अध्यक्ष प्रबन्धक तथा अन्य

Approved

Addl. Registrar
Coop. Socs. Chhattisgarh
Raipur

कर्मचारियों के काम की देखभाल करेगा। वह उन अधिकारों को काम में लावेगा जो बोर्ड ने उसको दिये है।

संस्था में एक उपाध्यक्ष होगा जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। उपाध्यक्ष/अध्यक्ष के उन अधिकारों का उपयोग करेगा जो उसे अध्यक्ष द्वारा लिखित में सौंपे गये है एवं अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसे प्रदत्त समस्त अधिकारों का उपयोग कर सकेगा।

उपविधि कमांक 29 :– प्रबंधक

बोर्ड एक प्रबंधक नियुक्त करेगी जिसे वेतन पारिश्रमिक दिया जावेगा। यदि जिले के उप/सहायक पंजीयक संस्था के हित में ऐसा करना आवश्यक समझें तो मुख्यालय से अनुमति प्राप्त कर किसी विभागीय कर्मचारी को प्रबन्धक पद पर नियुक्ति हेतु प्रतिनियुक्ति पद दे सकेगा और संस्था की प्रबंध समिति के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह उसे स्वीकार कर प्रबंधक के पद पर नियुक्ति करें।

प्रबन्धक पद पर केवल उसी व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकेगी जो –

1. उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त हो।
2. कियी अन्य सहकारी संस्था की प्रबंधक समिति का सदस्य न हो।
3. किसी सहकारी संस्था के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पद पर कभी कार्यरत न रहा हो।
4. किसी सहकारी संस्था की सेवा या शासकीय सेवा से हटाया या बर्खास्त न किया गया हो।
5. किसी अपराध में सजा न हुई हो और दिवालिया घोषित न किया गया हो।

उपविधि कमांक 30 :– प्रबंधक के अधिकार एवं कर्तव्य

प्रबंधक संस्था की बोर्ड व अध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण में काम करेगा। उसके कर्तव्य तथा अधिकार निम्न लिखित होंगे :–

1. निर्धारित आवश्यक रजिस्टरों तथा अन्य कागजातों को व्यवस्थित और चालू रखना।
2. पावतियां, रसीदें, व्हाउचर्स, चेक तथा दस्तावेज तैयार करना। रसीद, चेक आदि पर अध्यक्ष अथवा उस व्यक्ति के, जिसे कि बोर्ड ने यह अथिति ने यह अधिकार दिया हो, हस्ताक्षर करना।
3. संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना। अध्यक्ष की सहमति से आम सभा, प्रबंध समिति को बैठक बुलाना बोर्ड के निर्णयों की उपविधियों के अनुसार सूचना देना।
4. आम सभा तथा समिति की बैठक में उपस्थित रहना तथा उनकी कार्यवाही कार्य पुस्तिका में लिखना कार्यवही विवरण के ठीक नीचे उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर करना।
5. प्रत्येक वित्तीय वर्ष समाप्ति के 3 माह के भीतर आय–व्यय तथा वार्षिक पत्रक तैयार कराना और 31 मई तक नियमों में निर्धारित अधिकार को भेजना।
6. रजिस्टरों की प्रतिलिपि को प्रमाणित करना।
7. अंकेक्षण तथा अन्य अधिकारियों की आडिट तथा निरीक्षण टीपों की उत्तर सहित प्रबंध समिति के समक्ष प्रस्तुत करनां
8. स्वीकृत बजट के भीतर बोर्ड के द्वारा दिये हुए अधिकारों के अनुसार व्यय करना।
9. समिति के द्वारा एकत्रित होने वाली समस्त धनराशि संबंधित सहकारी केन्द्रीय बैंक में जमा करना।
10. अंकेक्षण तथा अन्य अधिकारियों की आडिट तथा निरीक्षण टीपों की उत्तर सहित बोड्र के समक्ष प्रस्तुत करना। वार्षिक विवरणी अधिनियम की धारा 56(1) के उपबंधो के अनुसार

Approved

Addl. Registrar
Coop. Socs. Chhattisgarh
Raipur

वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात् 06 माह का कालावधि के भीतर प्रस्तुत करने लिए बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

11. वे अन्य कार्य करना जो प्रबंध समिति द्वारा सौंपा जावे।

उपविधि कमांक 31:– सदस्य की पासबुक

प्रत्येक सदस्य के पास एक पास बुक होगा जिसमें प्रबंधक ऐसी सब रकमों की प्रविष्टि करेगा जो उनको दी गई हो, अथवा उसकी ओर से जमा की गई हो।

उपविधि कमांक 32 :– संस्था की पंजीयाँ

संस्था को (1) सदस्य पंजी (2) सदस्यता त्यागपत्र आवेदन पंजी (3) के श बुक (4) ऋण खाता पंजी (6) आवक पंजी (7) जावक पंजी (8) डाक टिकट पंजी (9) स्टेशनरी पंजी (10) रसीद कट्टा पंजियां रखना अनिवार्य होगा।

उपविधि कमांक 33 :– संस्था की मुद्रा

संस्था की एक संयुक्त मुद्रा होगी जो अध्यक्ष/प्रबंधक के पास रहेगी। यह मुद्रा लिखते पर ही लगाई जावेगी जिस पर बोर्ड के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष अथवा बोर्ड के ऐसे सदस्यों के हस्ताक्षर हो जिन्हें बोर्ड ने इस संबंध में अधिकार दिया हो।

उपविधि कमांक 34 :– शुद्ध लाभ का वितरण

साधारण सभा की स्वीकृति से शुद्ध लाभ (नेट प्राफिट) का वितरण निम्नानुसार किया जावेगा।

1. कम से कम 25 प्रतिशत धन रक्षित निधि में,
2. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम/नियमों के अनुसार जिला सहकारी संघ को अंश दान।
3. शेष राशि में से सदस्यों को उनके हिस्सों की वसूल आई धन राशि पर लाभांश के रूप में वितरण जो 10 (दस) प्रतिशत वार्षिक दर से अधिक न होगा। परन्तु पंजीयक की पूर्वानुमति से लाभांश में 15 प्रतिशत तक की वृध्दि की जा सकेगी।
4. शेश धन में संस्था के कर्मचारियों को बोनस एक्ट 1955 के प्रावधान के अनुसार बोनस।
5. अधिनियम की धारा 43 के अनुसार परोपकार संबंधी आशय के लिए अनुदान दिये जाने हेतु निधि का निर्माण किया जा सकेगा। चेरिटबिल एव्डोपेंट एक्ट 1980 के प्रावधानुसार संचालित होगा।
6. बाकी रकम रक्षित निधि में अथवा संस्था के सदस्यों के हेतु सामाजिक मनोरंजन व शैक्षणिक कार्यों की स्थापना हेतु निर्मित होने वाले भवन निर्माण आदि अन्य निधि में जमा की जावेगी।

उपविधि कमांक 35 :– लाभांश

1. हस्तांतरित किए अंशों का लाभांश उन सदस्यों को दिया जावेगा जिनके नाम पिछले वर्ष के अंतिम दिवस पर संस्था रजिस्टर में अंकित हो।

Approved

Addl. Registrar
Coop. Socs. Chhattisgarh
Raipur

2. किसी ऐसे सदस्यों को लाभांश नहीं दिया जावेगा जिसने अंशों की मांग की रकम संस्था से लेखा सूचना पत्र मिलने पर एक माह के भीतर जमा न की हो। ऐसी लाभांश संस्था की सम्पत्ति होगी।

3. उपविधि कमांक 78 के अनुसार लाभ के मांग के अतिरिक्त जप्त अंशों की राशि तथा प्रवेश शुल्क, अमानत में से कटी हुई राशि रक्षित निधि में जमा होगी। रक्षित निधि की राशि सदस्यों में वितरित नहीं हो सकेगी और न ही कोई सदस्य उसमें से कोई अंश पाने का अधिकारी होगा। इसका उपयोग साधारण सभा के ठहराव से और सहकारी संस्थाओं के पंजीसक की स्वीकृति उपरान्त संस्था को जो हानि हुई हो उसे दूर करने के काम में लिया जा सकता है।

रक्षित निधि का उपयोग अथवा नियोजन पंजीयक के समय समय पर प्रसारित निर्देशों के अनुसार ही किया जा सकेगा। संस्था के समापन के बाद रक्षित निधि तथा अन्य निधियों का जो धन शेष रहेगा उसका विनियोजन छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत नियमों के अनुसार किया जावेगा।

उपविधि कमांक 36 :— विवाद

संस्था के संबंध या कारोबार के संबंध में समस्त विवाद, जो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 64 के अन्तर्गत हो, निर्णय के लिए पंजीयक को प्रस्तुत होगे जो उक्त विधान तथा उसके अन्तर्गत नियमों के अनुसार उसका निर्णय करेंगे।

उपविधि कमांक 37 :— संशोधन

1. सिवाय आमसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 के बहुमत के इन उपविधियों में से किसी भी उपविधि का संशोधन नहीं हो सकेगा सम्मेलन बुलाने के सूचना पत्र में प्रस्तावित संशोधन लिखा जावेगा और सूचना कम से कम 14 दिन पहले दिया जावेगा। ऐसा संशोधन उस समय तक व्यवस्था में न आ सकेगा जब तक कि पंजीयक उसको स्वीकृत कर उसका पंजीयन न कर लें।
2. उपरोक्त (1) के तहत प्राप्त संशोधन का पंजीयक सक्षम अधिकारी (उप पंजीयक/सहायक पंजीयक) द्वारा पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ की पूर्व लिखित अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा।

उपविधि कमांक 38 :— सूचना पत्र की तामिली

इन उपविधियों में जहां कहीं भी उल्लेख है कि सदस्य को लिखित सूचना पत्र दिया जावेगा ऐसा सूचना पत्र ऐसे सदस्य को स्वयं दिया जावेगा अथवा पंजीकृत डाक से उसके पते पर जो संस्था के रजिस्टर में नोट किया हुआ हो, दिया जावेगा। यदि पत्र किसी कारण से वापस होता है, तो उसे एस.एम.एस. से भी सूचना देनी चाहिए।

उपविधि कमांक 39 :— अन्य

1. अन्य बातें जिनका उल्लेख इन उपविधियों में न किया गया हो, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायठी अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार की जावेगीं।

Approved

Addl. Registrar
Coop. Socs. Chhattisgarh
Raipur

आदर्श उपविधि

2. उपविधियों की व्याख्या का अधिकार पंजीयक को होगा। व्याख्या के संबंध में उत्पन्न विवादों पर पंजीयक की राय अन्तिम होगी।

3. संस्था का चुनाव छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, उसके अन्तर्गत निर्मित नियम इन उपविधियों तथा छ.ग. राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग द्वारा समय–समय पर प्रसारित निर्देशों के अनुसार कराये जावेंगे।

उपविधि कमांक 40 :— संस्था की सदस्यता (जिला सहकारी संघ)

संस्था छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर की सदस्यता ग्रहण करेगी या जिला सहकारी संघ के अनिवार्य रूप से सदस्य होगी।

उपविधि कमांक 41 :— संस्था का पता

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1962 के नियम 22 (1) के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही कर प्रबंध समिति संस्था का पता पंजीयक को प्रेषित करेगी। नियम 22(3) में वर्णित प्रावधान अनुरूप संस्था के पंजीकृत पते पर प्रत्येक परिवर्तन की सूचना प्रबंध समिति द्वारा पंजीयक को तत्काल दी जावेगी और पंजीकृत पते में प्रस्तावित परिवर्तन पंजीयक द्वारा पंजीकृत करने के उपरान्त ही संशोधन माना जावेगी। पते में परिवर्तन के पंजीयक द्वारा पंजीकृत होने की सूचना की एक प्रति संस्था के सूचना पटल पर चस्पा की जावेगी।

Approved

Addl. Registrar
Coop. Socs. Chhattisgarh
Raipur

आदर्श उपविधि